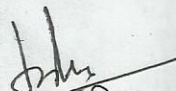


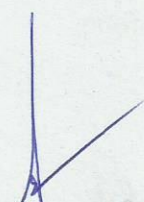
(2123)

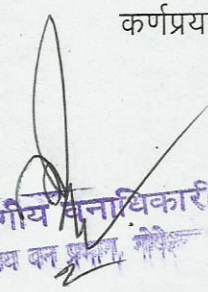
परियोजना का नाम:- जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग में सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग के कि.मी. 11 से बनियास तक मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 3.00 कि.मी.)।

१९८०
वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र,

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग में सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग के कि.मी. 11 से बनियास तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 3.00 कि.मी. हेतु जो वन भूमि प्रस्तावित की गयी है उसके अन्तर्गत कोई भी निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। अतः उक्त परियोजना के निर्माण में कोई वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन नहीं किया गया है।

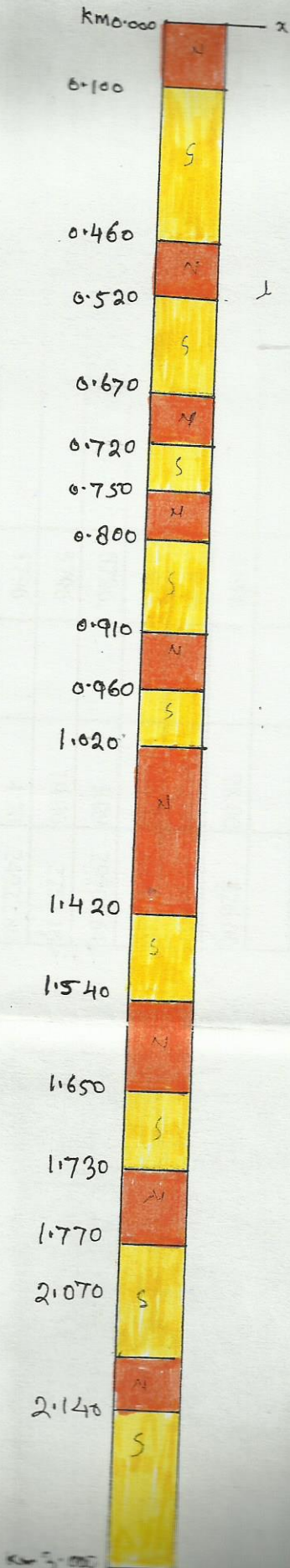

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग।


अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग।


प्रभागीय वनधिकारी
विशेष वन प्रभाग, नैनीताल

बार-चार्ट

चक्रावृत्त का नाम : जनपद चमोली में सिबोली - चुलाकोट मोहर मार्ग के किमी ११ से १२ - बालीगहन तक - मोहर मार्ग निर्धारित।



नाप शास	सिबोली - चुलाकोट
---------	------------------

संकेत

आमिन

प्रधान अधिकारी

बद्रीनाथ वन प्रभारी, गोपेश्वर

प्रधान अधिकारी

सहायक अभियन्ता

डा. विद्यासागर अभियन्ता

करोड़िया

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत
सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग के कि.मी. 11 से ग्राम
बणियास तक मोटर मार्ग का निर्माण।

परियोजना की लम्बाई-चौड़ाई का प्रमाण-पत्र।

प्रस्तावित सिविल भूमि की लम्बाई 2070 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर कुल 14490

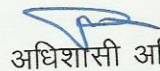
वर्ग मीटर अर्थात 1.449 हे० है।

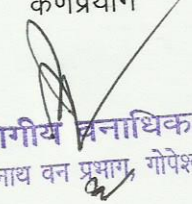
भूमि का प्रकार	लम्बाई	चौड़ाई	हैक्टेयर
नाप भूमि	930मी.	7 मी.	0.651 हे.
सिविल भूमि	2070 मी.	7 मी.	1.449 हे.
कुल योग-			2.100 हे.


अमीन
लो.नि.वि.


कनिष्ठा अभियन्ता
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


अधिशोषी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


प्रभागीय प्रनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वरा

फैक्ट शीट

1:-परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग के कि.मी. 11 से ग्राम बणियास तक मोटर मार्ग का निर्माण।

2:- प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (है. में)	1.449 है.
आरक्षित वन भूमि-	-शून्य-हे.
सिविल एवं सोयम वन भूमि:-	2070 मी. $\times$ 7 मी. 1.449 हे.
वन पंचायती भूमि-	- मी - मी - हे.
निजी भूमि -	930 मी $\times$ 7 मी 0.651 हे.
योग:-	2.100 है.

3:- प्रस्तावक विभाग का नाम :- लोक निर्माण विभाग

4:- वन प्रभाग का नाम :- बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।

5:- प्रस्ताव बाइंडिंग किया गया है:- हाँ / नहीं

6:- प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है:- हाँ / नहीं

7:- क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग -1, 2 व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गई है। हाँ / नहीं

8:- क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है- हाँ / नहीं

9:- प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है:- हाँ / नहीं

10. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची / प्रमाण-पत्र संलग्न है : हाँ / ~~नहीं~~
11. बांज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न है : हाँ / ~~नहीं~~
12. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है :
13. समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है : हाँ / ~~नहीं~~
14. क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का धनत्व सही है : हाँ / ~~नहीं~~
15. क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है : हाँ / ~~नहीं~~
16. क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है : हाँ / ~~नहीं~~
17. प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर / परियोजना के आसपास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है : हाँ / ~~नहीं~~
18. क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है : ~~हाँ~~ / नहीं
19. प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है : ~~हाँ~~ / नहीं
- यदि हाँ तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण-पत्र संलग्न है : हाँ / नहीं
20. क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है : हाँ / ~~नहीं~~
21. प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व में जारी तो भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें) : ~~मार्ग नया प्रस्तावित है~~

22. क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-2
रंगों से भरा गया है :

हाँ / ~~नहीं~~

23. यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो
उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है :

हाँ / ~~नहीं~~

24. क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का
उल्लंघन हुआ है :

~~हाँ~~ / नहीं

25. यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुए दोषी
अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गई
कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय :

लागू नहीं

26. सड़क निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनायें/वैकल्पिक
समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं :

हाँ / ~~नहीं~~

27. वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत
नोट संलग्न किया जाय) :

28. लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है (5 हे० से
अधिक के प्रकरणों में लागू होगा) :

हाँ / ~~नहीं~~

29. मानचित्र व वार चार्ट में एकरूपता है :

हाँ / ~~नहीं~~

30. मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है :

हाँ / ~~नहीं~~

अथवा

मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र संलग्न है :

हाँ / नहीं

31. राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण-पत्र
प्रस्ताव में संलग्न है :

हाँ / ~~नहीं~~

32. क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियाँ मूल में
संलग्न हैं, यदि छायाप्रतियाँ संलग्न की गई हैं तो क्या वे
सत्यापित हैं :

हाँ / ~~नहीं~~

33. यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण - पत्र संलग्न है : हाँ / नहीं
34. वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है : हाँ / नहीं
35. क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण-पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है : हाँ / नहीं
36. क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण-पत्र संलग्न हैं : हाँ / नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फॉर्मेट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है।
समस्त प्रमाण-पत्र / सूचनायें संलग्न कर दी गयी हैं।



सहायक अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड लो०नि०वि०
कर्मप्रयाग



अधिशोषी अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड लो०नि०वि०
कर्मप्रयाग

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

परियोजना का नाम:—जनपद चमोली में विकासखण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी0 11 से ग्राम बनियास तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है:—

1.	ईको-क्लास श्रेणी	—	V
2.	हरियाली का घनत्व	—	0.3
3.	एन0पी0वी0 की दर प्रति है0	—	6,57,000.00
4.	आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल—		1.449
5.	कुल देय एन0पी0वी. की धनराशि—		9,51,993.00

प्रभागीय वन अधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।